सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री उदा व अन्य बनाम श्री राजू व अन्य

किस्म मुकदमा 01 / 242 TA   मु0न0 12 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म कीतामील में हुए
26-2-19	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर होकर एवं नोटिस जारी होकर दिनांक 25-03-19 को पेश हो। (सुरेश चौधरी) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	नोटिस 723-27
25-3-19	वकुला:.ए.फरी.उप./पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यों व्यस्त/.......... पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ समक्ष दिनांक 03-4-19 को पेश हों। अप्रार्थी सं. 1 के नोटिस पर जालि द्वारा नोटिस लेने से इंकार व दो गवाह के हस्ताक्षर, अप्रार्थी सं. 2 के नोटिस पर पुत्रवधु द्वारा लेने से इंकार व दो गवाह के हस्ताक्षर, अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नोटिस बाद तामील प्राप्त।	
03-4-19	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पेशकार सरकार उप. / सर्वे तामीली रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की तामीली मान्य है, इन्हें रुक-रुक कर कई बार आवाजे लगवाई गई, परन्तु कोई हाजिर नहीं आए। अत: इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा पर निवेदन किया जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना-पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थीगण की भूमियों पर अप्रार्थीगण ने कब्जा किया हो। मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में ...लगातार...	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री उदा व अन्य बनाम श्री राजू व अन्य

किस्म मुकदमा U/S 212 RTA.

मु0न0 12/19 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो कीतामील
	...लगातार... बनना नहीं पाया जाता है एवं सहुलियत का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है। चूंकि मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा को लेकर प्रस्तुत किया गया है जिसमें साक्ष्य एवं सुनवाई के आधार पर गुणावगुण पर तय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.11.30 12:57:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: